



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर डकैती व हत्या के साक्ष्य छुपाने के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 2033/2008 धारा- 394,302,201,120बी भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिजवान पुत्र रसूलबक्श निवासी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अशोक
कुमार शुक्ला



विवेचक-
निरी० एस०के०
सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह